# समाहरणालय सीतामढ़ी

## (जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

### अल्पकालीन पूर्ननिविदा सूचना

सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 769 दिनांक 20.05.2015 के आलोक में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा का डिजिटाइजेशन का कार्य ऑन लाईन ई–लाभार्थी साफ्टवेयर में किया जाना है। विभाग द्वारा प्रति इंट्री दर अधिकतम 5.00 रू0 (पाँच रूपये) निर्धारित की गई है। जिला स्तर पर एन0आइ0सी0, समाहरणालय सीतामढ़ी के सहयोग से डाटा के डिजिटाइजेशन का कार्य ससमय सम्पादित किया जायेगा। जिसका निविदा दिनांक 11.06.2015 के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी। दिनांक 15.06.2015 को 04:00 बजे अपराहन से आहूत क्रय समिति की बैठक में सिर्फ 02 निविदादाता मे0 Edutech Soft PVT LTD, Sitamarhi, R.K. Tech मोतीहारी द्वारा निविदा दी गई। चूँकि इन दोनो निविदा को खोला नहीं गया है। अतः इन दोनो निविदादाता को पुर्ननिविदा में निविदा देने की आवश्यकता नहीं होगी।

विभागीय निदेशालोक में इस जिला के 17 प्रखण्डों एवं नगर परिषद् सीतामढ़ी, नगर पंचायत डुमरा, जनकपुर रोड, बेलसण्ड, बैरगनियाँ के सभी प्रकार के पेंशनधारियों के डाटा का डिजिटाइजेशन कार्य ससमय पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित शर्त्तो पर मुहरबंद पुर्ननिविदा आमंत्रित की जाती है। डाटा का डिजिटाइजेशन हेतु इच्छुक भेंडर/फर्म अपना निविदा दिनांक 25.06.2015 को 03:00 बजे अपराहन तक सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समाहरणालय सीतामढ़ी के प्रकोष्ठ में समर्पित कर सकते है। निविदा के रूप में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग–अलग शिल्ड लिफाफा में जमा करना होगा। भेंडर से प्राप्त निविदाओं को दिनांक 25.06.2015 को 04:00 बजे अपराहन में जिला क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समाहरणालय सीतामढ़ी या उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा ऑनलाईन डाटा डिजिटाइजेशन हेतु विहित साफ्टवेयर एवं उससे संबंधित विहित प्रपत्र/पेंशन भुगतान पंजी आदि का नमूना देखा जा सकता है।

**(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–**

1. भेंडर/फर्म को बिहार वाणिज्य एवं आयकर विभाग से कम–से–कम तीन वर्षों से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र तथा आयकर संख्या (PAN NO) देना होगा। विगत तीन वर्षों का अद्यतन Audit and Balance Sheet के साथ कम–से–कम एक वित्तीय वर्ष में 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) रूपये Turn Over का Audit Report संलग्न करना होगा।
2. भेंडर/फर्म को सेवा कर एवं बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (Bihar Shops and Estabishment Act) के अंतर्गत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र एवं कागज का नमूना भी संलग्न करना अनिवार्य है।
3. तकनीकी निविदा के साथ जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पक्ष में 25,000.00 (रूपये पच्चीस हजार) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
4. आवंटित कार्य के Sub-Contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Undertaking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा किसी भी समय Sub-Contracting यदि किया जाता है तो कार्यादेश वापस लेते हुए एवं जमा की गई जमानत राशि को जब्त करते हुए भेंडर/फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. निविदादाता को काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।
6. निविदादाताओं को तकनीकी एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण देना होगा।

Amar/1098

7. निविदादाता को बिहार राज्य में बी0पी0एल0/मनरेगा/निर्वाचन जैसे कार्यों का अनुभव होना चाहिए।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते :–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता भेंडर/फर्म का ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जायेगा।
2. वित्तीय निविदा में सभी प्रकार के कार्यो का दर सभी करों सहित स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। वित्तीय निविदा में कम दर वाले लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन के उपरांत भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार Vat एवं अन्य करों की कटौती की जायेगी।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन विलंब के लिए 1000.00 (एक हजार) रूपये की दर से संबंधित भेंडर/फर्म के विपत्र से कटौती की जायेगी तथा एक सप्ताह के उपरांत भी पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दी जाएगी।
5. उपरोक्त शर्तों के अलावे समय–समय पर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्त्तों/निदेशों का पालन करना होगा।

(ग) सामान्य शर्ते :–

1. निविदा संबंधित कार्यों का सभी करों सहित दर अलग–अलग उल्लेखित करना होगा।
2. ऑनलाईन डाटा डिजिटाइजेशन एवं उनके सत्यापन हेतु मुद्रित प्रति के मिलान एवं अंतिम रूप से सत्यापन के पश्चात् मुद्रित सत्यापित सामग्री जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में हस्तगत करना अनिवार्य होगा। डाटा सत्यापन हेतु कम–से–कम दो बार प्रिंट आउट देना होगा। यदि आवश्यक हुआ तो दो से अधिक बार प्रिंट आउट देना होगा। उक्त प्रिन्ट आउट के लिए अलग से किसी भी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगी। साथ ही कम्प्युटर अधिष्ठापन आदि के लिए किसी भी प्रकार का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
3. बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने, संशोधित करने तथा कार्य की अधिकता के कारण समय से कार्य निष्पादन कराने हेतु कार्य का आवंटन एक से अधिक फर्म को करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
4. डाटा इंट्री का कार्य समाहरणालय सीतामढ़ी स्थित किसी भी कार्यालय में न्यूनतम 20 (बीस) कम्प्यूटर से सज्जित केन्द्र के स्थापना कर संपादित करना होगा।

15/6

जिला पदाधिकारी
सीतामढ़ी।